संख्या- 68/2019/1226/छप्पन-19-26/2008

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2019

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तथा उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के कार्यान्वयन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से 02 कम्प्यूटर दक्ष लिपिक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-551/ना०उ०नि०/2019, दिनांक 10 जनवरी, 2019 एवं पत्र संख्या-171/ना०उ०नि०/2019 दिनांक 14 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तथा उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम रूप से आवश्यक कम्प्यूटर दक्ष लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर के दो पद श्रमशक्ति आपूर्तिकर्ता (मैन पॉवर सप्लायर) संस्था के माध्यम से आउटसोर्सिंग से भरे जाने हेतु एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या 038 लेखाशीर्षक राजस्व लेखा '2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रखरखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-58 आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान' से वहन किया जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 ई-7-626, दिनांक 07 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

**संख्या: 68/2019/1226(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4. वित्त (लेखा) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।